उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग
संख्याः /VIII/13–680(श्रम)/2002
देहरादून, दिनाँकः 24 जून, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1996) की धारा 40 एवं धारा 62 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

नियम 263 का संशोधन

2. मूल नियमावली के नियम 263 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम के उपनियम (2) के खण्ड (एक) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
263. बोर्ड के सचिव एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्तिः–	**263. बोर्ड के सचिव एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्तिः–**
(2) बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति से ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा:	(2) बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति से ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा:
(i) जो श्रम विभाग में सहायक श्रम आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, तथा	**(i) जैसा कि वह उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, तथा**

नियम 276 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 276 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
276. **औजार क्रय करने के लिए** ऋणः– निधि के सदस्य को **पाँच हजार तक की राशि** औजारों को क्रय करने के लिए ऋण के रूप में स्वीकृत की जा सकती है। ऐसे सदस्य जिन्होंने निधि में अपनी सदस्यता 03 वर्ष तक पूरी कर ली है और जो अपना अभिदाय नियमित रूप से करते हैं, इस ऋण के लिए पात्र होंगे। फायदाग्राही की आयु 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऋण की धनराशि की वसूली 60 किश्तों से अधिक में नहीं की जायेगी। इस ऋण हेतु आवेदन प्रारूप संख्याः XI. में बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित किया जायेगा।	276. **औजार क्रय करने के लिए ऋणः**– निधि के सदस्य को औजारों को क्रय करने के लिए **ऋण के रूप में बोर्ड द्वारा राशि अवधारित की जायेगी।** ऐसे सदस्य जिन्होंने निधि में अपनी सदस्यता 03 वर्ष तक पूरी कर ली है और जो अपना अभिदाय नियमित रूप से करते हैं, इस ऋण के लिए पात्र होंगे। फायदाग्राही की आयु 55 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऋण की धनराशि की वसूली 60 किश्तों से अधिक में नहीं की जायेगी। इस ऋण हेतु आवेदन प्रारूप संख्याः XI. में बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित किया जायेगा।
नियम 277 का संशोधन	4. मूल नियमावली के नियम 277 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–
स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
277. **अंत्येष्टि–सहायता का भुगतानः**– बोर्ड, मृतक सदस्य के नामितों/आश्रितों को अंत्येष्टि संस्कार खर्च के लिए **दो हजार रूपये** की धनराशि स्वीकृत कर सकता है। इस फायदा के लिये आवेदन प्रारूप XI.I में प्रस्तुत किया जायेगा।	277. **अंत्येष्टि–सहायता का भुगतानः**– बोर्ड, मृतक सदस्य के नामितों/आश्रितों को अंत्येष्टि संस्कार खर्च के लिए **पाँच हजार रूपये** की धनराशि स्वीकृत कर सकता है। इस फायदा के लिये आवेदन प्रारूप XI.I में प्रस्तुत किया जायेगा।
नियम 282 का संशोधन	5. मूल नियमावली के नियम 282 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ- 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
282. विवाह हेतु आर्थिक सहायता:– ऐसे निर्माण कर्मकार जो निरंतर **एक वर्ष से सदस्य हैं**, अपनी आश्रित पुत्री के विवाह हेतु **ग्यारह हजार रूपये** की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। निधि की महिला सदस्य भी स्वयं के विवाह हेतु इस सहायता के लिए पात्र होगी। यह सहायता फायदाग्राही को दो पुत्रियों के विवाहों तक सीमित रखते हुए स्वीकृत की जाएगी। इस हेतु आवेदन प्रारूप XLIV में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।	282. **विवाह हेतु आर्थिक सहायता**:–ऐसे निर्माण कर्मकार जिन्होंने पंजीकरण के उपरांत **तीन माह की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली हो**, अपनी आश्रित पुत्री के विवाह हेतु **इक्यावन हजार रूपये** की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। निधि की महिला सदस्य भी स्वयं के विवाह हेतु इस सहायता के लिए पात्र होगी। यह सहायता फायदाग्राही को दो पुत्रियों के विवाहों तक सीमित रखते हुए स्वीकृत की जाएगी। इस हेतु आवेदन प्रारूप XLIV में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

नियम 285 का संशोधन

6. मूल नियमावली के नियम 285 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) इन नियमों के अंतर्गत देय सभी आर्थिक सहायताएं, मृत्यु पर मिलने वाली सहायता तथा दुर्घटना के समय मिलने वाली चिकित्सीय सहायता को छोड़कर, कर्मकार के द्वारा निधि की सदस्यता ग्रहण करने के **एक वर्ष पश्चात** ही संदेय होगी।	(2) इन नियमों के अंतर्गत देय सभी आर्थिक सहायताएं, मृत्यु पर मिलने वाली सहायता तथा दुर्घटना के समय मिलने वाली चिकित्सीय सहायता को छोड़कर, कर्मकार के द्वारा निधि की सदस्यता ग्रहण करने के **तीन माह के पश्चात** ही संदेय होगी।

नियम 288 का संशोधन

7. मूल नियमावली के नियम 288 को उपनियम (1) तथा उपनियम (2) के रूप में पुनर्संख्यांकित करते हुए निम्नवत् उपनियम (2) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्:–

"(2) बोर्ड सरकार की पूर्वानुमति से निर्माण श्रमिकों के लिए ऐसी योजना बना सकेगा तथा उस योजना को कार्यान्वित कर सकेगा, जो निर्माण श्रमिकों के सामूहिक हित के लिए आवश्यक हो।

(डॉ॰ रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्याः- 261 (1)/VIII/13-680(श्रम)/2002, तद्दिनँकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. निजी सचिव-मा॰ श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 150 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अहमद अली)
अनु सचिव।